



प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 17.06.2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में जी०एस०टी० के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र सं०-429/यूपीडा/ गंगा/2024-25, दिनांक 29.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.07.2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिए जाने के फलस्वरूप पी०पी०पी० मोड पर क्रियान्वित की जा रही गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निष्पादित अनुबन्ध के आर्टिकल 41 Change in Law के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्ताओं पर जी०एस०टी० की 06 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय-भार की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम त्रैमास के लिए रुपये 17200.00 लाख (रुपये एक अरब बहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र०	कार्य का नाम	अब तक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)	33728.00	17200.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय- भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम त्रैमास के लिए प्रतिपूर्ति हेतु		
--	--	--

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
- (7) यूपीडा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कन्सेशननेयर द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए क्लेम से सम्बन्धित Tax Invoice दिनांक 18 जुलाई, 2022 या उसके बाद की तिथि में Raise किए गए हो तथा साथ ही Change in Law: Article-41 के लागू होने के फलस्वरूप कन्सेशननेयर के Rights एवं Obligation में परिवर्तन नहीं होगा।
- (8) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,72,00,00,000 (रुपये एक अरब बहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लेखा शीर्षक 5054033371700 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयवीर सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।